प्रेस विज्ञप्ति

20/7/2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** की धारा **17** के तहत **16.07.2026** को **16** परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है, जो ग्राम भट्टियां (गोल पंचायत), जिला पठानकोट में स्थित शामलात भूमि पर अवैध रूप से किए गए रेत खनन के संबंध में है, जिसे कथित तौर पर तत्कालीन अपर-उपायुक्त (एडीसी), कुलदीप सिंह द्वारा पारित एक विवादित आदेश के माध्यम से अवैध रूप से हस्तांतरित किया गया था।

तलाशी अभियान के दौरान, तलाशी किए गए परिसरों से रेत और नदी तल सामग्री के अवैध खनन से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। **1.75** करोड़ रुपये की अघोषित नकदी जब्त की गई और इसके अलावा, पीएमएलए, **2002** की धारा **17(1**ए) के प्रावधानों के तहत कुल **91,34,322/-** रुपये की राशि वाले बैंक खातों पर फ्रीजिंग आदेश जारी किया गया।

ग्राम भट्टियां, गोल पंचायत, जिला पठानकोट में स्थित सामान्य ग्राम (शामलाट) की भूमि को निजी व्यक्तियों को अवैध रूप से हस्तांतरित करने के संबंध में कुलदीप सिंह और आठ अन्य आरोपियों के खिलाफ थाना, सतर्कता ब्यूरो, अमृतसर द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर पीएमएलए, **2002** के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की गई थी। रावी नदी के तट पर स्थित कथित भूमि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है। कुलदीप सिंह की नियुक्ति एडीसी (ग्रामीण विकास), पठानकोट के रूप में राज्य सरकार के एक मंत्री की सिफारिश पर उनकी सेवानिवृत्ति से चार दिन पूर्व की गई थी। उन्होंने सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने से एक दिन पूर्व उक्त विवादित आदेश पारित किया था।

तलाशी अभियान के दौरान मेसर्स श्री साई स्टोन क्रशर एंड स्क्रीनर, मेसर्स शिव शंकर स्टोन क्रशर, उनसे संबंधित संस्थाओं तथा उनके प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को शामिल किया गया, जो उक्त भूमि से अवैध रेत उत्खनन में संलिप्त थे।

तलाशी में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ मुख्य निष्कर्ष यह है कि उन्होंने उचित प्राधिकरण और देय करों और रॉयल्टी का भुगतान किए बिना अवैध रूप से रेत/नदी-तल-सामग्री का उत्खनन/खरीद/बिक्री/परिवहन किया है। कुछ राज्य सरकार के अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है, जिन पर इस तरह की अवैध खनन गतिविधि को सुविधाजनक बनाने और कोई निवारक/सुधारात्मक उपाय नहीं करने का संदेह है, जिससे राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है। यह भी पता चला कि ट्रक/टिपर/उत्खननकर्ता रात के समय क्षेत्र में बेतहाशा काम कर रहे हैं, कुछ तो बिना नंबर प्लेट के भी, जो एक संगठित अवैध खनन संचालन का संकेत देता है।

पठानकोट और गुरदासपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में खनन के मुद्दे से संबंधित एक सतत जनहित याचिका (सीडब्ल्यूपी-**22567-2012)** माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी लंबित है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया था,

"यह स्पष्ट है कि पठानकोट और गुरदासपुर जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में**,** विशेष रूप से रावी नदी के पार खनन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक है और इस तरह की कोई भी गतिविधि आईएसआई द्वारा पोषित और नियंत्रित भीतरी इलाकों में काम करने वाले नशीली दवाओं के तस्करों**,** आतंकवादियों और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को सुविधाजनक बनाती है।"

माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था**,** लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिना किसी रुकावट के जारी है।

ईडी ने कथित भूमि पर अवैध खनन गतिविधियों की वैज्ञानिक जांच के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग से भी सहायता मांगी है।

आगे की जाँच जारी है।

*****